## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
## बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 38 ⁄ 2020

**प्रार्थी** **बनाम** **अप्रार्थीगण**

गंगा पुत्री लादूराम पत्नी
कन्हैयालाल, जाति जाट
निवासी ग्राम पिचियाक
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

1. गंगा पुत्री लादुराम पत्नी उगराराम, जाति जाट निवासी ग्राम कालाऊना तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिलाड़ा
3. उप पंजीयक तहसील कार्यालय बिलाडा, जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक, यूको बैक भावी

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
### राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

— — — — —

**उपस्थितिः—** प्रार्थी की ओर से श्री लक्ष्मणराम राठौड़, अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री पदमाराम चौधरी
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सरकारी पैरोकार।

**:: आदेश ::** **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 641 रकबा 1.8688 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पहले प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. लादूराम के नाम थी। लादूराम के फौत हो जाने के बाद उनकी पत्नी भीरादेवी ने पुनः विवाह कर लिया। लादूराम के दो पुत्रिया गंगा पत्नी कन्हैयालाल तथा दरियाव उर्फ तथाकथित गंगा पत्नी उगराराम है। स्व. लादूराम के दो जाईन्दा पुत्रीया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 है इनके अलावा स्व. लादूराम का कोई अन्य वारिस एवं उतराधिकारी नही है। स्व. लादूराम के बड़ी पुत्री प्रार्थी गंगा व छोटी पुत्री अप्रार्थी संख्या 1 दरियाव है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की माता भीरादेवी का शपथ पत्र जरिये हाजा न्यायालय में पेश है। स्व. लादूराम के फौत होने के बाद भरे गये नामान्तरकरण संख्या 690 ग्राम पंचायत भावी द्वारा पंचायत संकल्प संख्या 3 ⁄ 34 दिनांक 18.12.1978 द्वारा जायन्दा पुत्री गंगा पुत्री लादूराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया तथा पुनाराम को कुदरती वली नियुक्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को अकेले हड़पने की नियत से अपना नाम बाले [illegible] चुपके चुपके राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर दरियाव के स्थान पर [illegible] करवाकर अपने ससुराल का नाम कालाऊना राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया तथा अपने [illegible] दस्तावेज गंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

के नाम से बनवा लिये तथा अप्रार्थी संख्या 1 सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में रहन रख ऋण प्राप्त कर लिया। उक्त ऋण चुकाने का उतरदायित्व अप्रार्थी संख्या 1 का है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्व. लादूराम की जायन्दा पुत्रिया होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से की अधिकारी है। प्रार्थी स्व. लादूराम की जायन्दा पुत्री होने के कारण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है। जो स्व. लादूराम के फौत होने के बाद से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक बिना रोकटोक के चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का बैचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकेगा।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य नौकर, चाकर एजेन्ट आदि से करावे तथा वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित, ऋण, गिरवी, बैचान व बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे व न ही किसी अन्य के माध्यम से करवायेंगे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री पदमाराम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये लेकिन इन्होने जवाब पेश नही किया तो इनका जवाब बन्द किया गया और पत्रावली वास्ते बहस हेतु मुर्करर की गयी।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

**प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :–** प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने [illegible] तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि उपरोक्त [illegible] पहले प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested

के पिता स्व. लादुराम जी की खातेदारी की थी तथा लादूराम जी का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लादूराम जी उतराधिकारी होने से उनके नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण होना चाहिए था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने आप को लादूराम जी की एकमात्र पुत्री बताकर अपना अकेली का नाम राजस्व रेकर्ड में विरासत नामान्तरकरण के तहत दर्ज करवाया। किन्तु उपरोक्त भूमि में प्रार्थीया का भी 1/2 हिस्सा जरिये उतराधिकार के तौर पर बनता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपने अकेली का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का गलत फायदा उठाते हुए उपरोक्त भूमि का बैचान किसी अजनबी को करने पर आमादा है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अगर प्रार्थीया के 1/2 हिस्से की जमीन का बैचान/हस्तान्तरण कर लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को हो जायेगी। जिससे प्रार्थीया का वाद पेश करने का उदेश्य ही खत्म हो जायेगा तथा प्रार्थीया ने हको के निर्धारण हेतु वाद पेश किया है। इस कारण मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का जवाब पेश नही कर तथ्यों का खण्डन नही किया है।

**आदेश**

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वो ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 641 रकबा 1.8688 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें तथा किसी प्रकार का बैचान, हस्तान्तरण नही करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:58 IST
Reason: SelfAttested